# भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में भर्ती के परिणाम रोके

## चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा पर **विधानसभा चुनाव** संपन्न होने तक रोक लगा दी है।

## मुख्य बिंदु

- **भर्ती विवरण:** प्रभावित भर्तियों में हरियाणा पुलिस में **कांस्टेबलों के पद, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग** (HSSC) द्वारा **प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक** (TGT) और **शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक** (PTI) **के पद** तथा **हरियाणा लोक सेवा आयोग** (HPSC) द्वारा विभिन्न पद शामिल हैं।
- **रोक का कारण:** यह निर्णय विपक्षी पार्टी की ओर से आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की शिकायत के बाद लिया गया।
- **आयोग के निष्कर्ष:** ECI ने निर्धारित किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में **MCC** का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि वे चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शुरू किये गए थे।
    - हालाँकि निष्पक्षता और समान अवसर बनाए रखने के लिये, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक परिणाम जारी नहीं किये जाएंगे।

## हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)

- **हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी निकाय** है जो **हरियाणा सरकार** के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में **ग्रुप बी, सी तथा डी** के पदों हेतु कर्मचारियों की भर्ती के लिये ज़िम्मेदार है।

## भारत निर्वाचन आयोग

- **परिचय:**
    - **भारत निर्वाचन आयोग** (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन हेतु ज़िम्मेदार है।
        - इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को की गई थी (जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
    - यह निकाय भारत में **लोकसभा, राज्यसभा** और **राज्य विधानसभाओं** तथा देश में **राष्ट्रपति** एवं **उपराष्ट्रपति** के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है।
        - इसका राज्यों में **पंचायतों** और **नगर पालिकाओं** के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत के संविधान में अलग से **राज्य चुनाव आयोग** का प्रावधान है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।

## आदर्श आचार संहिता (MCC)

- **आदर्श आचार संहिता** एक आम सहमति वाला दस्तावेज़ है। राजनीतिक दलों ने खुद ही चुनाव के दौरान अपने आचरण पर नियंत्रण रखने और आचार संहिता के दायरे में काम करने पर सहमति जताई है।
- यह **निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिये गए अधिदेश के अनुरूप कार्य करने** में सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का पर्यवेक्षण करने एवं उन्हें संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- आदर्श आचार संहिता **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर** परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहती है।
- संहिता के प्रभावी रहने के दौरान सरकार किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य **सुविधाओं के निर्माण का वादा नहीं कर सकती तथा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकती।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/election-commission-halts-haryana-recruitment-results